FAQ

प्र01- काष्ठ आधारित उदयोगों से सम्बन्धित नये लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन किस प्रकार से किया जायेगा।

उत्तर- नये लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://upforest.gov.in पर जाकर दिये गये लिंक "काष्ठ आधारित उद्योग लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक कर, काष्ठ आधारित उद्योग (लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर किये जा सकेगें।

प्र02- क्या आवेदन ऑफलाइन भी किया जा सकता है।

उत्तर- नहीं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होगा।

प्र03- ऑनलाइन आवेदन में किन अभिलेखो की आवश्यकता है।

उत्तर- 1. आधार कार्ड की स्कैन कॉपी ।

2. यदि स्थापना स्थल नगरपालिका/औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी अभिलेख।
3. आवेदक/संचालक के फोटो की स्कैन कॉपी ।
4. आवेदक/संचालक के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी ।
5. आवेदक के कम्पनी/फर्म का अधिकृत व्यक्ति होने का अभिलेख ।
6. लेमिनेशन इकाई स्थापना स्थल भूमि स्वामित्व का अभिलेख ।
7. शर्तों के पालन करने का शपथ पत्र ।

प्र04- क्या आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित अभिलेखों की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालयों को भेजी जानी होगी।

उत्तर- नहीं।

प्र05- काष्ठ आधारित उद्योग(लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर आवेदक द्वारा किस प्रकार रजिस्ट्रेशन किया जाना है।

उत्तर - काष्ठ आधारित उद्योग (लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर उपलब्ध लिंक **'New User Registration'** पर क्लिक कर आवेदक को मोबाइल नम्बर (10 **digit**) और आधार नम्बर (12 **digit**) भर कर एवं सबमिट करना होगा। आवेदक के उक्त मोबाइल नम्बर पर आये OTP को पोर्टल पर दर्ज कर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सम्पन्न होगा।

प्र06- आवेदन की मौजूदा स्थिति किस प्रकार देखी जा सकती ।

उत्तर- काष्ठ आधारित उद्योग (लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर उपलब्ध लिंक **'Already Registered/Login'** पर क्लिक कर आवेदक का मोबाइल नम्बर (10 **digit**) और आधार नम्बर (12 **digit**) द्वारा लॉगिन कर आवेदन की मौजूदा स्थिति समय-समय पर देखी जा सकती है।

प्र07. क्या प्रोसेसिंग फीस एवं रजिस्ट्रेशन फीस **Non Refundable** है।

उत्तर- हाँ ।

प्र08- प्रोसेसिंग फीस एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर- प्रोसेसिंग फीस एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान काष्ठ आधारित उद्योग (लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। किसी अन्य माध्यम से प्रोसेसिंग फीस एवं रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा होगी।

प्र09- आवेदन पत्र सबमिट कब माना जायेगा।

उत्तर- पोर्टल पर आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनायें पूर्ण रूप से भरने एवं सबमिट करने के पश्चात **Non Refundable** प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करने हेतु लिंक उपलब्ध किया जायेगा। प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करने के पश्चात ही आवेदन पत्र सबमिट माना जायेगा।

प्र10- आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात क्या प्रक्रिया है।

उत्तर- आवेदन द्वारा आवेदन पत्र सबमिट कर प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को स्वतः ऑनलाइन प्रेषित होगा। प्रभागीय वनाधिकारी अपनी सस्तुति के साथ आवेदन पत्र राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेगें। राज्य स्तरीय समिति आवेदन पर विचार कर **Approval देगी। Approval के उपरान्त** रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान 20 दिनों के अन्दर पोर्टल पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन ही किया जाना होगा।

प्र11- रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कब किया जाना है।

उत्तर- राज्य स्तरीय समिति द्वारा आवेदन को **Approve** किये जाने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान पोर्टल पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। आवेदक का मोबाइल नम्बर (10 **digit**) और आधार नम्बर (12 **digit**) द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन की मौजूदा स्थिति समय-समय पर देखी जा सकती है।

प्र12- लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब उपलब्ध किया जायेगा।

उत्तर- राज्य स्तरीय समिति द्वारा आवेदन को **Approve** किये जाने एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर डिजिटल हस्ताक्षर के उपरान्त काष्ठ आधारित उद्योग (लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर ही डाउनलोड हेतु (PDF File) उपलब्ध किया जायेगा।

प्र13- लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहां उपलब्ध किया जायेगा।

उत्तर- लेमिनेशन इकाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त काष्ठ आधारित उद्योग (लेमिनेशन इकाई) पोर्टल पर ही डाउनलोड हेतु (PDF File) उपलब्ध किया जायेगा।